

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई(अजमेर)

पीठासीन अधिकारी - निशा सहारण(R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या -66/2023

1.सुरमा पुत्री अमरचन्द (पत्नि श्री दिनेश बैरवा) जाति बैरवा निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अराई जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम डबरेला अजमेर - प्रार्थीया

बनाम

2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अराई।

-अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956


दिनांक:-...16/5/2025

- संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि ग्राम गोठियाना पटवार हल्का गोठियाना तहसील अराई जिला अजमेर में स्थित है। जिसके खाता संख्या 269/227 खसरा नम्बर 174 रकबा 0.5097 है तथा खसरा नम्बर 364 रकबा 0.9061 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 270/227 ख०न० 31 क्षेत्रफल 1.2620 है तथा खाता संख्या 684/227 खसरा नम्बर 187 क्षेत्रफल 1.9082 है में प्रार्थीया का 1/35 हिस्सा निहित है। प्रार्थीया के पिता श्री अमरचन्द के देहावसान पश्चात वर्णित भूमि की विरासत का राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण में प्रार्थीया का नाम सहवन से धरेलू बोलचाल का नाम मोतिया दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का सही नाम सुरमा है। अतः प्रार्थीया का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीया का उक्त भूमि पर कब्जा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वाद में वर्णित भूमि ख०न० 174,364,31,187 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रिकार्ड को दुरुस्त करवाने के आदेश प्रदान करवावें।
- पत्रावली दिनांक 8.9.2023 को दर्ज रजिस्टर की गई तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। बाद तामिल नोटिस पत्रावली दिनांक 6.9.2024 को पेश हुई। पैरोकार सरकार जवाब दिनांक 29.11.2024 को पेश हुआ जिसमें पैरोकार सरकार ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र व उक्त दस्तावेजा के आधार पर नियमानुसार प्रार्थीया का नाम मोतीया पुत्री अमरचन्द के स्थान पर सुरमा पुत्री अमरचन्द (बालिग)किया जाना की अनुशषा की है।
- दिनांक 25.4.2025 को वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थीया की कृषि भूमि ग्राम गोठियाना पटवार हल्का गोठियाना तहसील अराई

जिला अजमेर में स्थित है। यह है कि वाद में वर्णित भूमि ख०न० 174,364,31,187 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रिकार्ड को दुरुस्त करवाने के आदेश प्रदान करवावें।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस प्रार्थीया पर अवलोकन/मनन किया गया। पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया का विरासत से ही राजस्व रिकार्ड में मोतिया दर्ज है अर्थात् राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 136 एलआर एक्ट 1956 के तहत दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीया द्वारा वादअधीन भूमि के सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को सिद्ध करने में असफल रहा है। सरकार जवाब से ताईद है कि राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है अतः प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

आदेश आज दिनांक 16/5/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
असई(अजमेर)
अराई (अजमेर)